Govt. of Jharkhand

RANCHI INSTITUTE OF NEURO-PSYCHIATRY & ALLIED SCIENCES (RINPAS)

राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास)

Kanke, Ranchi - 834006 (Jharkhand) + Telefax: (0651) 2450813 Ph.: (0651) 2450303

TENDER NOTICE

TENDER NOTICE NO. DIR /17/12/11-12/MISC.

O. T. SECTION

December, 2011

Office of the Director
RINPAS
Kanke, Ranchi – 834006 (Jharkhand)
www.rinpas.nic.in
email ID:- directorrinpas@gmail.com

Last date for receipt of Tender: Date: 19-01-2012 (upto 13.00 hrs.)
Cost of Tender Document: Rs. 500/- (Non Refundable)

निविदा की सामान्य शर्ते

डी0आई0आर0 /17/12/2011-12/ विविध/ व्यावसायिक चिकित्सा एवम् पुनर्वास केन्द्र

1. निविदा दो भांगों में मुहरबंद होगा, तकनिकी भाग एंव मूल्य भाग तथा दोनों लिफाफा एक बड़े लिफाफे में बंद होगा। सभी लिफाफो पर निविदा आमंत्रण सूचना संख्या एवं तिथि तथा **तकनिकी अथवा मूल्य भाग अंकित होना चाहिए।**
2. बड़े लिफाफा के ऊपर मद, निविदा विज्ञापन संख्या, निविदा की नियत तिथि एंव पत्राचार हेतु पता, दूरभाष संख्या इत्यादि सुस्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
3. मुहरबंद निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में ₹ 10,000/- (दस हजार रूपये) मात्र जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रतिभूति राशि केवल बैंक धनादेश (बैंक ड्रॉफ्ट) के रूप में स्वीकार की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का **रेखांकित बैंक धनादेश निदेशक, रिनपास, काँकें, राँची** के पक्ष में आहरित एवम् राँची में संदेय होगा। अस्वीकृत निविदा की प्रतिभूति राशि निविदा के निष्पादन के पश्चात् संबंधित निविदादाता को वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाता के संदर्भ में ई0एम0डी0 बतौर सुरक्षा राशि के रूप में व्यवहृत की जायेगी।
4. निविदादाता को निविदा के साथ समुचित श्रेणी में निबंधन या नवीनीकृत निबंधन प्रमाणपत्र सामाग्रियों से संबंधित अद्यतन अनुज्ञापत्र/आयकर स्थायी लेखा संख्यांक एवम् अद्यतन बिक्री कर सफाया प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
5. निविदादाता अपने निविदा के अंतर्गत सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित करेंगे तथ निविदा के तकनिकि भाग में कुल पृष्ठों की संख्या के संबंध में एक प्रमाण–पत्र भी देगें। (यथाः– हमारे निविदा के तकनिकि भाग में बैंक ड्रफ्ट को छोडकर कुल.......... पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या 1 पर .... पृष्ठ संख्या 2 पर............ से संबधित अभिलेख/प्रमाण–पत्र संलग्न है)।
6. निविदा के साथ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक के माध्यम से एफिडेविट की मूल प्रति जिसमें अंकित हो कि "हमारा फर्म किसी भी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थाओं की काली सूची में नही है। तथा किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं है"।
7. निविदा पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर दर अंक एवम् अक्षरों में अंकित रहना अनिवार्य है। अंक एवम् अक्षर साफ–साफ एवम् पठन योग्य होना चाहिए। अंक एवम् अक्षर पर दोबारा लिखावट स्वीकार्य नहीं होगी। अंक एवम् अक्षर काट कर हस्ताक्षर के साथ दोबारा लिखा जा सकता है।
8. निविदा दर सभी करों सहित उद्घृत किया जाना है।
9. निविदा के निपटारे हेतु नमूने के साथ निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक नियत तिथि को उपस्थित होना है ताकि दर–वार्ता में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके, जिसके लिए निविदादाताओं को निविदा खोलने की तिथि से अवगत करा दिया जायेगा या सूचना पट्ट पर उपलब्ध रहेगा। नमूना प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित निविदादाता का निविदा पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा के अंतिम निष्पादन के बाद अस्वीकृत निविदादाओं को नमूना लौटा दिया जायेगा। स्वीकृत निविदादाओं के नमूने अगले निविदा तक सुरक्षित रख लिए जाएगा।
10. क्रय उपसमिति के द्वारा स्वीकृत की गई दर एक वर्ष अथवा अगली निविदा के निपटारा तक, जो अधिकतम हो मान्य होगी।
11. सामाग्रियों की गुणवत्ता, विशिष्टियॉ, न्यूनतम मूल्य, प्रतिष्ठान की साख एवम् सुदृढ़ वित्तीय स्थिति एवम् विगत वर्षों के प्रामाणिक, विश्वसनीय, योग्य एवम् नियमित रूप से आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता की जायेगी।
12. आपूर्तिकर्ताओं को सामग्रियों की आपूर्ति समय–समय पर निर्गत आपूर्ति आदेश में उल्लिखित समय के अन्दर अधियाचित अदद/मात्रा में एकबारगी आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा। आंशिक मात्रा में आपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आपूर्ति के विरूद्ध किसी भी परिस्थिति में अग्रिम राशि का दावा मान्य नहीं होगा।
14. सामग्रियों की आपूर्ति आवश्यकतानुसार ली जायेगी।

15. सामाग्रियों की आपूर्ति प्रातः 09.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक करनी होगी।
16. उपलब्ध निधि एवम् कार्यालय संबंधी अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त विपत्रों की भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में कोई अन्य दावा मान्य नही होगा। किसी तकनीकी औपचारिकताओं के अभाव में विलम्बित भुगतान के फलस्वरूप ब्याज के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
17. विपत्र पर बिक्री कर/निबंधन संख्या का उल्लेख अवश्य होना चाहिए तभा विपत्र तीन प्रतियों में समर्पित करना होगा। त्रुटिपूर्ण विपत्र पर विचार नहीं किया जायगा।
18. स्वीकृत निविदादाता यदि निविदा–शर्तो के अनुरूप अथवा निश्चित समय सीमा के अन्दर अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति नहीं करते हैं या घटिया/निम्न स्तर के सामग्री आपूर्ति करते हैं अथवा नियमित रूप से आपूर्ति नहीं करते हैं या आपूर्ति में गड़बड़ी करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन सामग्रियों का क्रय सुविधानुसार एवम् आवश्यकतानुसार द्वितीय स्वीकृत निविदादाता से अथवा स्थानीय बाजार दर पर कर लिया जायेगा एवम् अधिकाई अंतर राशि उनके विपत्र/प्रतिभूति राशि से सामंजन कर लिया जायेगा।
19. गुणवत्ता, विशिष्टियों, स्वीकृत नमुने, मांग पर एकबारगी एवम् निश्चित समय सीमा के अन्दर नमुने के मुताबिक आपूर्ति नहीं करने पर अथवा नकली या घटिया किस्म के सामानों की आपूर्ति करने पर बैधिक कार्रवाई की जायेगी तथा अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वैसे आपूर्तिकर्ता को कालाकृत कर दें, जमानत की राशि समपहरण कर दें, उनके बकाए विपत्र पर रोक लगा दें अथवा भविष्य में होनेवाले निविदा में वैसे आपूर्तिकर्ताओं को भाग लेने से वंचित रखें।
20. निविदा में किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर जमानत की राशि राज्यसात कर ली जायेगी।
21. बिना कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने या दरों में समानता रहने पर नमुने की गुणवत्ता के आधार पर एक या एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं के माध्य बाँटने अथवा नयी निविदा पुनः आमंत्रित करने या क्रम को रद्द कर देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
22. सशर्त, आपूर्ण एवम् निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्राप्त होते ही यह मान लिया जायेगा कि निविदादाता ने सभी शर्तो से सहमत होकर निविदा समर्पित किया है। निविदादाता निवेदित सामानों की विशिष्टियों को यथासंभव निविदा में अंकित कर सकते है।
23. डाक द्वारा भेजे गए निविदा कागजातों के विलम्ब से प्रप्ति, खोने, क्षतिग्रस्त अथवा अप्राप्ति के लिए अधोहस्ताक्षरी जिम्मेवार नहीं होगा।
24. किसी कारणवश किसी भी अघोषित छुट्टी या बन्द आदि के कारण उल्लेखित निर्धारित तिथि को कार्यालय बन्द रहने पर निविदा अगले कार्यशील दिवस को निविदादाता या प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा।
25. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
26. सामग्रियाँ रिनपास के व्यावसायिक चिकित्सा एवम् पुनर्वास केन्द्र से आपूर्ति आदेश प्राप्त करते हुए उक्त केन्द्र में प्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति सुनिशिचत किया जाना है।
27. सभी विवादों का निपटारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत होगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

निदेशक
रिनपास, काँके, राँची

निर्गत किये गयें निविदा–पत्र से संबंधित मनी रसीद की छायाप्रति संलग्न किया